प्रकरण संख्या 8/2018 मियाराम व अन्य बनाम रामलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा समायत शुदा बहस एवं पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 18—04—2017 को विपक्षी/अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की तामिल तथा दफाा 11 जा.दी. के आवदेन पर जवाब बहस हेतु लम्बित थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की तामिल नहीं होने के बावजूद तथा दफा 11 जा.दी. के आवेदन पर निर्णय किये बगैर प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 19.05.2017 रखकर अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को सुने बिना, प्रकरण में विधिक बिन्दुओं पर बहस के स्थान पर अपीलान्ट संख्या 1 की उपस्थिति के हस्ताक्षर के बाद प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय कर दिया, जबकि प्रकरण अपीलान्ट संख्या 2 व 3 की तामिल हेतु लम्बित थी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का जवाब भी प्राप्त नहीं हुआ था तथा प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा पेश शुदा दफा 11 जा.दी. के आवेदन पर पहले निर्णय किया जाना वांछनीय था। दिनांक 19.05.2017 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट संख्या 1 को होना संदिग्ध है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को तो नोटिस ही तामिल नहीं हुई है, तद्नुसार अपील को मयाद में माना जाता है तथा प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को सूचित किये बिना, प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब लिये बिना एवं दफा 11 जा.दी. के महत्वपूर्ण आवेदन पर निर्णय किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.05.2017 तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जाता तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 2 व 3 को भी सुनवाई का अवसर दे तथा सर्वप्रथम दफा 11 जा.दी. के आवेदन पर निर्णय करें, तद्नुसार वांछित होने पर अपीलान्ट का जवाब लेकर प्रकरण में निर्णय पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.08.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (एल.एन. मंत्री) भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	